अनुबंध- VII

<u>वर्ष 2025-26 के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹ 3 लाख से अधिक और ₹ 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान (सबवेंशन) का दावा</u>

बैंक का नाम:

.... से .... की अवधि के लिए दावों का विवरण: ₹ 3 लाख से अधिक और ₹ 5 लाख तक का संवितरित/बकाया ऋण

.... से .... की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते			.... के रूप में बकाया (पिछली अवधि के अंत)			.... के रूप में कुल बकाया			ब्याज सबवेंशन की राशि @ 5%
खातों की सं.	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर/बेंचमार्क दर)	राशि	खातों की संख्या	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर/बेंचमार्क दर)	राशि	खातों की संख्या	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर/बेंचमार्क दर)	राशि	राशि

ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने वाले विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ब्याज सबवेंशन की राशि

कृपया नोट करें: संख्या (सं.) और राशि वास्तविक आंकड़ों में

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ₹ 3 लाख से अधिक और ₹ 5 लाख तक की महिला एसएचजी को ऋण पर वर्ष 2025-26 में उपरोक्त संवितरण/बकाया पर बैंकों द्वारा प्रकटित 1 वर्ष की एमसीएलआर/बेंचमार्क दर के अनुसार ब्याज लगाया गया था। हम प्रमाणित करते हैं कि खाते आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं और बैंक ने सीबीएस पर इन सभी खातों को 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी' के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि शाखा स्तर से ब्याज सबवेंशन दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है।

दिनांक:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

(यह दावा प्रारूप, वर्ष के लिए समेकित, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए और 30 सितंबर 2026 के भीतर 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले तिमाही के दावों के साथ प्रस्तुत किया जाए।)